



जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेप्यी संघ : कौवा नला, इमलिया, जबलपुर, पो.बाक्स 2, अध्याताल, जबलपुर 482004 (म.प्र.)

दूरभाष पो.बो. एक्स. 2353017, 2353051, फैक्स : 0761-2353150

आई.एस.ओ. 9001: 2000 एवं 22000 : 2005 प्रमाणित संस्थान

TIN-23875801833

PAN : AAAAJ0485D

क्रमांक/ 3708 /जेएसडीएस/क्षेसं/दुसंपनि 95 (III)/2019

जबलपुर दिनांक -3 अक्टू. 2019

दुग्ध संकलन परिवहन निविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर कार्य क्षेत्र अन्तर्गत जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली एवं उमरिया से संबंधित संयंत्र/शीतकेन्द्र के दुग्ध संकलन परिवहन मार्ग पर दुग्ध परिवहन कार्य अनुबंध हेतु दिनांक 01.11.2019 से 31.10.2020 तक की अवधि के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निर्धारित निविदा प्रपत्र रु. 500.00 (रु. पाँच सौ मात्र) नगद जमा कर निम्नानुसार सूची में दर्शाएँ स्थानों से निर्धारित दिन एवं दिनांक तक किसी भी कार्यालयीन कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। परी हुई सीलबंद निविदाएं उसी दिन एवं दिनांक को निर्धारित स्थान पर अपरान्ह 01.00 बजे तक जमा की जा सकेंगी एवं अपरान्ह 02.00 बजे से उपस्थित निविदाकार/प्रतिनिधियों के समक्ष निविदाएं खोली जावेंगी-

क्र.	संयंत्र/शीतकेन्द्रों से संबंधित दुग्ध मार्ग	दिनांक एवं दिन	निविदा फार्म जमा करने एवं खोलने का निर्धारित स्थान
1	जिला छिंदवाड़ा- (छिंदवाड़ा संयंत्र, नांदनवाड़ी छिंदीकामय, अमरवाड़ा, विछुआ बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग)	21.10.2019 सोमवार	दुग्ध संयंत्र, खजरी नाके के पास, छिंदवाड़ा
2	जिला बालाघाट- (बालाघाट शीत केन्द्र से सम्बद्ध मार्ग)	22.10.2019 मंगलवार	दुग्ध शीत केन्द्र, आकाशवाणी के पास, बालाघाट।
3	जिला सिवनी- (बण्डोल शीत केन्द्र एवं लखनादीन, सुकतरा बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग)	23.10.2019 बुधवार	दुग्ध शीत केन्द्र, बण्डोल जिला-सिवनी।
4	जिला जबलपुर- (जबलपुर मुख्य डेप्यरी संयंत्र से सम्बद्ध मार्ग) जिला नरसिंहपुर- (नरसिंहपुर शीत केन्द्र से सम्बद्ध मार्ग)	24.10.2019 गुरुवार	मुख्य दुग्ध संयंत्र, जबलपुर दुग्ध संघ इमलिया, जबलपुर।
5	जिला रीवा- (रीवा संयंत्र, सिमरिया, मऊगंज, चाकघाट, सिरमौर बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग), जिला सतना- (सतना, अमरपाटन बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग), जिला सीधी- (रामपुर नैकिन बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग), जिला सिंगरौली- (चितरंगी बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग), जिला उमरिया- (उमरिया एवं ताला बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग)	25.10.2019 शुक्रवार	दुग्ध संयंत्र, तेजस भवन, सतना रोड, पड़रा रीवा।

उक्त निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण का अवलोकन एम.पी.सी.डी.एफ., भोपाल की वेबसाइट www.mpcdf.gov.in में किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सि.डी. से पड़रा रीवा 5/10/19



जबलपुर सहकारी दुध संघ मर्यादित

डेयरी संयंत्र : करीदा नाला इमलिया, जबलपुर, पो. बाक्स 2, अधारताल, जबलपुर 482004 (म. प्र.)
दूरभाष पी. बी. एक्स. 2353017, 2353051. फ़ैक्स : 0761-2353150



TIN. : 23875801833

आई. एस. ओ. 9001: 2000 एवं 22000:2005 प्रमाणित संस्थान

PAN : AAAAJ0485D

क्रमांक /

/जेएसडीएस/क्षेस/दुसंपनि 95 (III)/2019 जबलपुर, दिनांक-

दुध संकलन परिवहन निविदा सूचना (द्वितीय आमन्त्रण)

जबलपुर सहकारी दुध संघ मर्या., जबलपुर कार्यक्षेत्र अन्तर्गत जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली एवं उमरिया से संबंधित संयंत्रों/शीतकेन्द्रों के दुध संकलन परिवहन मार्गों पर दुध परिवहन कार्य अनुबंध हेतु दिनांक 01.11.2019 से 31.10.2020 तक की अवधि के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निर्धारित निविदा प्रपत्र रु. 500.00 (रु. पाँच सौ मात्र) नगद जमा कर निम्नानुसार सूची में दर्शित स्थानों से निर्धारित दिन एवं दिनांक तक किसी भी कार्यालयीन कार्य दिवस में अपराह्न 12.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। भरी हुई सीलबंद निविदाएं उसी दिन एवं दिनांक को निर्धारित स्थान पर अपराह्न 01.00 बजे तक जमा की जा सकेगी एवं अपराह्न 02.00 बजे से उपस्थित निविदाकार/प्रतिनिधियों के समक्ष निविदाएं खोली जावेगी:-

क्र.	संयंत्र/शीतकेन्द्रों से संबंधित दुध मार्ग	दिनांक एवं दिन	निविदा फार्म जमा करने एवं खोलने का निर्धारित स्थान
1	जिला छिंदवाड़ा- (छिंदवाड़ा संयंत्र, नांदनवाड़ी, छिंदीकामथ, अमरवाड़ा, बिछुआ बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग)	21.10.2019 सोमवार	दुध संयंत्र, खजरी नाके के पास, छिंदवाड़ा।
2	जिला बालाघाट- (बालाघाट शीत केन्द्र से सम्बद्ध मार्ग)	22.10.2019 मंगलवार	दुध शीत केन्द्र, आकाशवाणी के पास, बालाघाट।
3	जिला सिवनी- (बण्डोल शीत केन्द्र एवं लखनादौन, सुकतरा बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग)	23.10.2019 बुधवार	दुध शीत केन्द्र, बण्डोल जिला- सिवनी।
4	जिला जबलपुर- (जबलपुर मुख्य डेयरी संयंत्र से सम्बद्ध मार्ग) जिला नरसिंहपुर- (नरसिंहपुर शीत केन्द्र से सम्बद्ध मार्ग)	24.10.2019 गुरुवार	मुख्य दुध संयंत्र, जबलपुर दुध संघ इमलिया, जबलपुर।
5	जिला रीवा- (रीवा संयंत्र, सिमरिया, मऊगंज, चाकघाट, सिरमौर बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग), जिला सतना- (सतना, अमरपाटन बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग), जिला सीधी- (रामपुर नैकिन बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग), जिला सिंगरौली- (चितरंगी बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग), जिला उमरिया- (उमरिया एवं ताला बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग)	25.10.2019 शुक्रवार	दुध संयंत्र, तेजस भवन, सतना रोड, पड़रा रीवा।

उक्त निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण का अवलोकन एम.पी.सी.डी.एफ., भोपाल की वेबसाइट www.mpcdf.gov.in में किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
- निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश -

- 01- निविदा अमानत की राशि रुपये 5,000.00 (पांच हजार मात्र) नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो "जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित" के पक्ष में "जबलपुर" में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है। अमानत राशि के बिना प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 02- पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा प्रपत्र एवं अमानत राशि की रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट सील बंद लिफाफे में भरकर प्रस्तुत/प्रेषित करना आवश्यक है। लिफाफा बंद न होने की स्थिति में दुग्ध संघ प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा।
- 03- लिफाफे के ऊपर "दुग्ध संकलन परिवहन हेतु निविदा" एवं नीचे की तरफ निविदाकार का नाम एवं पता लिखा होना चाहिये।
- 04- व्यक्तिगत रूप से निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने पर उसे अधिकृत कर्मचारी से प्राप्ति रसीद लेना चाहिये। डाक से निविदा भेजने पर होने वाले विलम्ब के लिये दुग्ध संघ जिम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् यदि निविदा प्राप्त होती है तो वह निरस्त मानी जावेगी। इस हेतु दुग्ध संघ जवाबदार नहीं होगा।
- 05- प्रत्येक मार्ग के लिये अलग-अलग निविदा प्रस्तुत करना होगी। उक्त निविदा अवधि प्रथमतः एक वर्ष अवधि **01.11.2019 से 31.10.2020** होगी परंतु कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से उक्त अवधि में एक-एक वर्ष वृद्धि करते हुए अनुबंध अवधि में अतिरिक्त वृद्धि 3 वर्ष तक की जा सकेगी।
- 06- निविदा में उल्लेखित दर में समस्त व्यय सम्मिलित माने जावेंगे, निविदा दरें प्रति किलोमीटर/प्रति ट्रिप में दी जा सकती है। निविदा की दर स्पष्ट शब्दों एवं अंकों में अलग-अलग लिखी जावे। किसी शर्त वाली निविदा को मान्य नहीं किया जावेगा। निविदा प्रपत्र पर निर्धारित स्थान पर निविदाकार का पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्यतः चस्पा किया जावे।
- 07- किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर वह फर्म भागीदारी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिये। इसका प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। फर्म के सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होंगे, यदि किसी एक द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है तो निविदा के साथ इस आशय का मुख्यारनामा संलग्न करना अनिवार्य है।
- 08- निविदा अस्वीकृत होने पर बयाने की राशि तीन माह में वापस लौटा दी जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 09- निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित अवधि में प्रतिभूति राशि रुपये 10,000.00 (दस हजार मात्र) जमा कर रुपये 1,000.00 (रु. एक हजार मात्र) के नान ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर एवं वॉटर मार्क पेपर पर

टाइप करवाकर अनुबंध निष्पादित करना होगा। निर्धारित समयावधि में अनुबंध नहीं किया जाता है तो ठेका निरस्त कर अमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी।

- 10- सफल निविदाकार को एक माह के देयक के बराबर प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ में जमा करना होगी। इसमें से रूपये 10,000.00 (रूपये दस हजार) अनुबंध निष्पादन के पूर्व जमा करवाकर शेष राशि परिवहन देयकों से अनुबंध अवधि के प्रथम तीन माह के अन्दर काट कर जमा कर ली जावेगी। अमानत/प्रतिभूति राशि पर संघ द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
- 11- पृथक-पृथक मार्ग पर एक ही वाहन क्रमांक की निविदा प्राप्त होने पर तथा स्वीकृत होने पर दुग्ध संघ द्वारा उसे जिस मार्ग के लिये स्वीकृत किया जावेगा वह निविदाकार को मान्य होगा।
- 12- मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अमान्य कर निरस्त कर दें और निगोशिएशन के आधार पर अंतिम निर्णय करें।
- 13- निविदा स्पष्ट पूर्ण भरी होनी चाहिये। अस्पष्ट कटी-फटी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
- 14- निविदा प्रपत्र के साथ वाहन के पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है एवं निविदा स्वीकृत होने पर सत्यापन हेतु उसकी मूल प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी परन्तु यदि निविदाकार द्वारा वाहन क्रय किया जा चुका है एवं किसी कारण से उसके नाम पंजीयन हस्तान्तरित नहीं हुआ है तो निविदा प्रस्तुतकर्ता को यह आवश्यक होगा कि निविदा के साथ वाहन खरीदी से सम्बन्धित विक्रय प्रमाण पत्र (सेल डीड) प्रमाण (सेल डीड/विक्रय प्रमाण पत्र) वाहन अपने नाम पंजीकृत करवाकर उसकी छायाप्रति एवं मूल पंजीयन प्रस्ताव प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा प्रतिभूति राजसात की जाकर निविदा निरस्त की जा सकेगी।
- 15- जिन निविदाकारों के वाहन पूर्व में ही दुग्ध संघ में अनुबंधित है उन्हें निविदा प्रपत्र के साथ अमानत की राशि रूपये 5,000.00 नगद/डी.डी. द्वारा जमा करने में छूट दी जा सकती है परन्तु इस हेतु उन्हें दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पृथक से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उक्त आवेदन की जाँच उपरान्त उन्हें तदाशय का प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा जो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। ऐसी दशा में अमानत राशि रूपये 5,000.00 उनके खाते में दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा राशि में से समायोजित कर ली जावेगी।
- 16- निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को अपना वाहन निरीक्षण हेतु निर्धारित दिनांक स्थान एवं समय पर लाना होगा।
- 17- परिवहन ठेकेदार को परिवहन कार्य प्रारंभ करने के एक माह के अन्दर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में संघ के उत्पादों का विज्ञापन अनुबंधित वाहन पर लिखवाना होगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर निर्धारित अवधि में

विज्ञापन नहीं लिखवाया जाता है तो संघ द्वारा विज्ञापन लिखवाया जावेगा एवं उसका समस्त व्यय वाहन ठेकेदार के देयक से काटा जावेगा।

- 18- आयकर विभाग से जारी स्थाई लेखा संख्या (PAN) की स्व-प्रमाणित (Self Attested) प्रति संघ को प्रस्तुत करना होगा तभी परिवहन देयकों का भुगतान किया जा सकेगा। निविदा प्रपत्र के साथ पहचान पत्र (पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई.डी., राशन कार्ड- कोई एक) की छायाप्रति जो स्व-प्रमाणित हो संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 19- निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को अनुबंध हेतु प्रतिभूति राशि के साथ जबलपुर दुग्ध संघ की नाम मात्र की सदस्यता प्राप्त करने हेतु रु. 100.00 (एक सौ रूपये) शुल्क जमा करना होगा। ऐसा सदस्य संस्था के प्रबंधन, मतदान तथा लाभ के वितरण में भाग नहीं ले सकेगा। संघ के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बने रहने तक वह नाममात्र का सदस्य बना रहेगा।
- 20- सीलबंद निविदायें, विज्ञापन/सूचना में निर्धारित स्थान, दिनांक एवं समय तक प्राप्त की जाकर निर्धारित समय पर निविदा समिति के सदस्यों एवं निविदाकार अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। इस हेतु कार्यालयीन घड़ी का समय मान्य होगा।
- 21- निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में अनुबंध पत्र सम्पादित नहीं करने की स्थिति में अथवा दुग्ध परिवहन कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में ठेका निरस्त कर अमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी।
- 22- संकलन मार्गों हेतु निविदायें निम्नानुसार स्थानों पर प्राप्त की जाकर विज्ञापन में निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जावेगी:-

क्र.	संयंत्र/शीतकेन्द्रों से संबंधित दुग्ध मार्ग	दिनांक एवं दिन	निविदा फार्म जमा करने एवं खोलने का निर्धारित स्थान
1	जिला छिंदवाड़ा- (छिंदवाड़ा संयंत्र, नांदनवाड़ी, छिंदीकामथ, अमरवाड़ा, बिछुआ बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग)	21.10.2019 सोमवार	दुग्ध संयंत्र, खजरी नाके के पास, छिंदवाड़ा।
2	जिला बालाघाट- (बालाघाट शीत केन्द्र से सम्बद्ध मार्ग)	22.10.2019 मंगलवार	दुग्ध शीत केन्द्र, आकाशवाणी के पास, बालाघाट।
3	जिला सिवनी- (बण्डोल शीत केन्द्र एवं लखनादौन, सुकतरा बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग)	23.10.2019 बुधवार	दुग्ध शीत केन्द्र, बण्डोल जिला-सिवनी।
4	जिला जबलपुर- (जबलपुर मुख्य डेयरी संयंत्र से सम्बद्ध मार्ग) जिला नरसिंहपुर- (नरसिंहपुर शीत केन्द्र से सम्बद्ध मार्ग)	24.10.2019 गुरुवार	मुख्य दुग्ध संयंत्र, जबलपुर दुग्ध संघ इमलिया, जबलपुर।
5	जिला रीवा- (रीवा संयंत्र, सिमरिया, मऊगंज, चाकघाट, सिरमौर बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग), जिला सतना- (सतना, अमरपाटन बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग), जिला सीधी- (रामपुर नैकिन बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग), जिला सिंगरौली- (चितरंगी बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग), जिला उमरिया- (उमरिया एवं ताला बीएमसी से सम्बद्ध मार्ग)	25.10.2019 शुक्रवार	दुग्ध संयंत्र, तेजस भवन, सतना रोड, पड़रा रीवा।

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

दुग्ध संकलन परिवहन निविदा वर्ष 2019-20 हेतु दुग्ध संकलन परिवहन मार्गों की सूची-

अवधि (01.11.2019 से 31.10.2020 तक)

(1) दुग्ध संयंत्र, जबलपुर -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन)	वर्तमान में परिवहन हो रहे केनों की संख्या	सत्यापित दूरी (किमी में)	वर्तमान में स्वीकृत दर (रु. में)	अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन का प्रकार
1	पाटन-जबलपुर	टाटा एस	0.8	24	135	8.40	1000	टाटा एस/ समकक्ष
2	गुबराकला- मगरमुंहा- जबलपुर (प्रस्तावित) नवीन मार्ग (C)	पिकअप	1.5	40	160	-	2000	पिकअप/ समकक्ष
3	मझौली-जबलपुर (प्रस्तावित) नवीन मार्ग	पिकअप	1.5	40	120	-	1000	पिकअप/ अशोक लीलेण्ड/ समकक्ष

(2) दुग्ध संयंत्र, छिंदवाड़ा -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी. टन)	वर्तमान में परिवहन हो रहे केनों की संख्या	सत्यापित दूरी (किमी में)	वर्तमान में स्वीकृत दर (रु. में)	अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन का प्रकार
1	चौरई-छिंदवाड़ा	महिन्द्रा पिकअप	1.25	12	196	8.25	372	बुलेरो पिकअप/समकक्ष
2	मोहखेड़- छिंदवाड़ा	टाटा 407	2.50	48	165	13.00	1753	टाटा 407/समकक्ष
3	सांवरी-छिंदवाड़ा	टाटा 407	2.50	50	140	13.65	2428	टाटा 407/समकक्ष
4	उमरेठ-छिंदवाड़ा	पिकअप	1.50	27	108	8.95	754	अशोक लीलेण्ड/बुलेरो पिकअप/समकक्ष
5	कोठिया- अमरवाड़ा- छिंदवाड़ा	टाटा 407	1.50	21	162	13.75	961	टाटा 407/समकक्ष

6	शिवपुरी- छिंदवाड़ा	टाटा एसीई	1.00	12	112	8.60	277	टाटा एस/ अशोक लीलेण्ड/समकक्ष
7	मैनीखापा- नांदनवाड़ी	महिन्द्रा पिकअप	1.25	10	121	7.94	272	छोटा हाथी/ अशोक लीलेण्ड/बुलेरो पिकअप/समकक्ष
8	मोहगांव- नांदनवाड़ी	महिन्द्रा पिकअप	1.25	03	93	8.56	79	टाटा एस/अशोक लीलेण्ड/बुलेरो पिकअप/समकक्ष
9	जामई-छिंदवाड़ा	महिन्द्रा पिकअप	1.25	25	179	9.35	824	महिन्द्रा पिकअप/समकक्ष
10	खमरा-अमरवाड़ा -छिंदवाड़ा	महिन्द्रा पिकअप	1.25	07	54	11.40	160	टाटा एस/समकक्ष
11	भाजीपानी- अमरवाड़ा- छिंदवाड़ा	टाटा एक्सल	1.00	13	95	8.90	304	टाटा एस/समकक्ष
12	सेलटिया- छिंदीकामथ	बोलेरो पिकअप	1.00	14	136	8.90	212	अशोक लीलेण्ड/बुलेरो पिकअप/समकक्ष
13	जामई-मुत्तोर- छिंदीकामथ	बोलेरो पिकअप	1.50	09	113	9.00	180	अशोक लीलेण्ड/बुलेरो पिकअप/समकक्ष
14	झामटा-बिछुआ- छिंदवाड़ा	अशोक लीलेण्ड	1.25	35	154	9.65	1158	अशोक लीलेण्ड/बुलेरो पिकअप/समकक्ष
15	रामपुर- बेलनीदाना- छिंदवाड़ा	अशोक लीलेण्ड	1.25	05	88	8.95	103	टाटा एस/अशोक लीलेण्ड/समकक्ष
16	सांवरी- अम्बामाली- छिंदवाड़ा	बोलेरो पिकअप	1.50	25	130	9.30	250	अशोक लीलेण्ड/बुलेरो पिकअप/समकक्ष

(3) दुग्ध शीत केन्द्र, बण्डोल -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन)	वर्तमान में परिवहन हो रहे केनों की संख्या	सत्यापित दूरी (किमी में)	वर्तमान में स्वीकृत दर (रु. में)	अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन का प्रकार
01	बम्होड़ी-पाटन- जमुआ-बम्होड़ी	पिक-अप	1.5	30	122	11.00	800	पिक-अप /समकक्ष
02	बम्होड़ी- कपारगढ़- भिलमा-बम्होड़ी	टाटा-ऐस	01	14	68	8.35	450	टाटा-ऐस /समकक्ष
03	बम्होड़ी-बरौदा- साजपानी- बम्होड़ी	पिक-अप	1.5	22	122	10.90	550	पिक-अप /समकक्ष

04	बम्होड़ी- दोडासर्गा-घुनई- बम्होड़ी	टाटा-ऐस	1	11	96	9.00	300	टाटा-ऐस / समकक्ष
05	बम्होड़ी- बरेलाघाट- खमारिया-बम्होड़ी	टाटा-ऐस	1	16	104	9.80	400	टाटा-ऐस / समकक्ष
06	बण्डोल- जामुनपानी- खुरसीपार	पिक-अप	1.5	28	138	9.40	800	पिक-अप / समकक्ष
07	बण्डोल-मडवा- कन्हरगांव-सागर	पिक-अप	1.5	24	162	9.40	600	पिक-अप / समकक्ष
08	बण्डोल- परासिया- गोरखपुर	टाटा-ऐस	1	12	106	9.75	500	टाटा-ऐस / समकक्ष
09	बण्डोल-बंधा- बलारपुर-छुआई	टाटा-ऐस	1	16	87	10.20	400	टाटा-ऐस / समकक्ष
10	बण्डोल- कल्याणपुर- भीमपाटा- बण्डोल	पिक-अप	1.5	20	185	9.00	380	पिक-अप / समकक्ष
11	बण्डोल-सिंगपुर- भटेखारी- बण्डोल	पिक-अप	1.5	30	145	8.75	360	पिक-अप / समकक्ष
12	सुकतरा-दुरिया- खण्डासा- सुकतरा	पिक-अप	1.5	11	109	9.05	335	पिक-अप / समकक्ष
13	कुरई-गोरखपुर- रमली-कुरई	पिक-अप	1.0	07	58	9.30	100	टाटा एस/पिक -अप/ समकक्ष
14	सुकतरा-बेलपेठ- ग्दारी-सुकतरा	पिक-अप	1.5	23	114	9.45	530	अशोक लीलेण्ड/ पिकअप/ समकक्ष
15	सुकतरा- बिरहोली- परतापुर- सुकतरा	पिक-अप	1.5	30	131	8.65	580	अशोक लीलेण्ड/ पिकअप/ समकक्ष

(4) दुग्ध शीत केन्द्र, बालाघाट -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन)	वर्तमान में परिवहन हो रहे केनों की संख्या	सत्यापित दूरी (किमी में)	वर्तमान में स्वीकृत दर (रु. में)	अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन का प्रकार
1	लालबर्वा बी	अशोक लीलेण्ड	1.25	23	120	9.00	727.0	अशोक लीलेण्ड / बोलेरो पिक अप / समकक्ष
2	लामता-चांगोटोला-नैनपुर (प्रस्तावित) नवीन मार्ग	-	1.25	-	140.00	-	-	बुलेरो पिकअप / अशोक लीलेण्ड / समकक्ष

(5) दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन)	वर्तमान में परिवहन हो रहे केनों की संख्या	सत्यापित दूरी (किमी में)	वर्तमान में स्वीकृत दर (रु. में)	अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन का प्रकार
1	नरसिंहपुर-गोटेगाँव	टाटा एस	1.0		180	8.40	1000	टाटा एस / अशोक लीलेण्ड / समकक्ष
2	नरसिंहपुर-आमगाँव	टाटा एस	1.0		168	8.40	1000	टाटा एस / अशोक लीलेण्ड / समकक्ष
3	नरसिंहपुर-मुंगवानी (प्रस्तावित) नवीन मार्ग	-	1.0	-	170	-	800	टाटा एस / अशोक लीलेण्ड / बुलेरो पिकअप / समकक्ष

(6) दुग्ध शीत केन्द्र, रीवा -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन)	वर्तमान में परिवहन हो रहे केनों की संख्या	सत्यापित दूरी (किमी में)	वर्तमान में स्वीकृत दर (रु. में)	अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन का प्रकार
1	मऊगंज-तमरी	बुलेरो मैक्सी ट्रक	1.4	17	92	10.45	800	बुलेरो मैक्सी ट्रक / समकक्ष
2	ककरहा-बड़ागाँव	बुलेरो मैक्सी ट्रक	1.4	10	72	10.25	850	पिकअप / समकक्ष

3	सिरमौर-लालगांव	आटो	0.4	2	60	6.25	200	आटो/ समकक्ष
4	सिरमौर-रामपुर	आटो	0.4	4	66	6.6	300	आटो/ समकक्ष
5	सिरमौर-जवा	महेन्द्रा जीटो	0.7	7	75	9.2	300	महेन्द्रा जीटो/ समकक्ष
6	सेमरिया-ककरेड़ी	अशोक लिलैण्ड	1.2	8	64	9.25	300	टाटा एस/ अशोक लिलैण्ड/ समकक्ष
7	सेमरिया-कारीगोही	अशोक लिलैण्ड	1.2	10	106	9.5	500	अशोक लिलैण्ड/ समकक्ष

(7) दुग्ध शीत केन्द्र, सीधी -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन)	वर्तमान में परिवहन हो रहे केनों की संख्या	सत्यापित दूरी (किमी में)	वर्तमान में स्वीकृत दर (रु. में)	अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन का प्रकार
1	रामपुर नैकिन-भितरी	टाटा वैन	0.8	8	95	6.9	400	टाटा एस या समकक्ष
2	रामपुर नैकिन-गड़हरा	जीप	3.5	6	60	6.5	200	टाटा एस या समकक्ष

(8) दुग्ध शीत केन्द्र, सतना -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन)	वर्तमान में परिवहन हो रहे केनों की संख्या	सत्यापित दूरी (किमी में)	वर्तमान में स्वीकृत दर (रु. में)	अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन का प्रकार
1	सतना-नागौद	आटो	0.3	6	106	6	100	आटो/ समकक्ष
2	सतना-बर्ती-खोहर	टाटा एस	0.7	11	150	7.4	350	टाटा एस/ समकक्ष
3	सतना-रामपुर	टाटा एस	0.7	8	92	7.7	250	टाटा एस/ समकक्ष
4	अमरपाटन-ताला	जीनान पिकअप	1	9	121	9.5	500	जीनान पिकअप/ समकक्ष
5	अमरपाटन-उचेहरा	कमाण्डर जीप	0.8	7	115	8.05	300	टाटा एस/ समकक्ष

(9) दुग्ध शीत केन्द्र, सिंगरौली -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन)	वर्तमान में परिवहन हो रहे केनों की संख्या	सत्यापित दूरी (किमी में)	वर्तमान में स्वीकृत दर (रु. में)	अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन का प्रकार
1	चितरंगी-सिंगरौली नवीन प्रस्तावित मार्ग	-	01	-	100	-	900	टाटा एस/समकक्ष
2	चितरंगी-लमसरई नवीन प्रस्तावित मार्ग	-	01	-	100	-	900	टाटा एस/अशोक लीलेण्ड/पिकअप/समकक्ष

(10) दुग्ध शीत केन्द्र, उमरिया -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन)	वर्तमान में परिवहन हो रहे केनों की संख्या	सत्यापित दूरी (किमी में)	वर्तमान में स्वीकृत दर (रु. में)	अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन का प्रकार
1	ताला-मानपुर-बल्हौड नवीन प्रस्तावित मार्ग	-	01	-	120	-	800	टाटा एस/अशोक लीलेण्ड/समकक्ष
2	पाली-घुनघुटी-बढ़वाही नवीन प्रस्तावित मार्ग	-	01	-	110	-	700	टाटा एस/अशोक लीलेण्ड/समकक्ष

नोट- प्रतिपाली दर्शायी गई दूरी अनुमानित है। वास्तविक दूरी कम/अधिक भी हो सकती है।

अनुबंध का प्रारूप

अनुबंधकर्ता
का फोटो

यह अनुबंध पत्र आज दिनांकको निष्पादित किया गया

जिसका प्रथम पक्ष (निविदाकार)श्री/श्रीमति.....

निवासी एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमति.....से है एवं
द्वितीय पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., जबलपुर अथवा
उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी हैं।

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., जबलपुर द्वारा गठित दुग्ध सहकारी समितियों के संग्रह
स्थल से दुग्ध केन ढक्कन सहित एवं सामग्री आरएमआरडी...../दुग्ध शीत
केन्द्र.....तक एवं आरएमआरडी...../दुग्ध शीत केन्द्र.....
.....से खाली केन ढक्कन सहित एवं सामग्री संस्था तक पहुंचाने हेतु परिवहन करने वास्ते
प्रथम पक्षकार वाहन का पंजीयन क्रमांक.....से द्वितीय पक्षकार
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., जबलपुर द्वारा निर्धारित समय पर वाहन परिवहन हेतु
आवेदन किया है और द्वितीय पक्षकार ने इसमें आगे लिखे गये निबंधनों एवं शर्तों पर प्रथम
पक्षकार का आवेदन परिवहन दर रूपये.....अक्षरी रूपये.....
.....प्रति कि.मी./प्रतिट्रिप पर अग्रलिखित समस्त शर्तों के अनुसार अनुबंध किया
जाता है।

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित, नोटरी
करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्तें उभय पक्षों को मान्य होगी -

01. अ) यह ठेका अवधि दिनांक.....से दिनांक.....तक प्रभावशील
रहेगा।
ब) अनुबंध प्रथम वर्ष पश्चात् संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में दोनों पक्षों की
सहमति होने पर एक-एक कर अधिकतम तीन वर्ष तक (कुल 4 वर्ष) बढ़ाया जा सकता
है।
02. इन शर्तों को दुग्ध संकलन परिवहन ठेके की शर्तें कहा जावेगा। शर्तों में जहां-जहां
शब्द आएगा, उसका तात्पर्य जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., जबलपुर माना जावेगा,
डेयरी का तात्पर्य जबलपुर डेयरी या शीत केन्द्र.....होगा।
समिति का तात्पर्य दुग्ध सहकारी समितियों से होगा।
03. (अ) प्रतिदिन सुबह एवं शाम को निर्धारित समय पर धुले हुये खाली केन ढक्कन सहित
संस्थाओं में पहुंचाने एवं दूध से भरे केन ढक्कन सहित डेयरी/दुग्ध शीत केन्द्र तक
लाने की जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी। इस हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा समय-समय पर
आवश्यकतानुसार दी गई निर्धारित समय सारणी प्रथम पक्ष को मान्य होगी, मार्ग पर
किसी संस्था का दूध न लाने की दशा में प्रथम पक्ष को कारण सहित लिखित में

सूचना द्वितीय पक्ष को उसी दिन/पाली में देनी होगी इस प्रकरण की जांच करने पर द्वितीय पक्ष का निर्णय अंतिम एवं प्रथम पक्ष को मान्य होगा।

(ब) अधिकतम 40 किलो मीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से समय सारणी निर्धारित की जाकर प्रत्येक पाईण्ट से दूध उठाने, खाली केन एवं सामग्री प्रदाय हेतु प्रति पाईण्ट 3 से 5 मिनिट समय दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा गति सीमा घटाई/बढ़ाई जा सकेगी।

(स) केन एवं ढक्कन की प्राप्ति एवं प्रदाय मात्रा का हिसाब प्रथम पक्ष को रखना होगा संस्थाओं में केन ढक्कन बदलने की दशा में अथवा गुम होने की दशा में प्रथम पक्ष को एक सप्ताह के अंदर निराकरण करना होगा, अन्यथा केन व ढक्कन की कीमत परिवहन बिल से काट ली जावेगी एवं किया गया कटौती वापस नहीं किया जावेगा।

04. द्वितीय पक्ष द्वारा संस्था को दिये जाने वाले सभी सामान जैसे पशु आहार, घी, मिनरल मिक्सचर, चारा बीज, घी- टीन/पैकेट, संस्थाओं को लगने वाला मिल्कोटेस्टर, टेस्टिंग सामान एवं स्टेशनरी आदि सामान समितियों को भेजा जाता है, इसका लेखा-जोखा प्रथम पक्ष को रखना होगा एवं सामान अगली पाली में समिति तक पहुंचाना होगा। वाहन ठेकेदार को संबंधित समिति को सामान पहुंचाकर प्राप्ति रसीद तीन दिन में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा इसकी राशि प्रथम पक्षकार के परिवहन देयक से काटी जावेगी एवं काटी गई राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जावेगी, तथा लगातार तीन बार शिकायतें रहती है तो वाहन बंद कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया सकेगा।
05. यदि किसी कारण से संकलन बंद रखा जाता है और द्वितीय पक्ष द्वारा इसकी सूचना दी जाती है, तो प्रथम पक्ष को उन पालियों का कोई भाड़ा देय नहीं होगा।
06. निर्धारित समय में संस्थाओं का दूध डेयरी तक लाने की पूरी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरी समान क्षमता के वाहन की व्यवस्था प्रथम पक्ष को करना होगी, किसी भी दशा में डेयरी पर वाहन के समय पर नहीं पहुंचने की स्थिति में, दूध खराब होने पर जो हानि होगी वह कंडिका 08 अनुसार प्रथम पक्ष से वसूल की जावेगी। अनुबंधित वाहन परिवर्तित करने पर उसी क्षमता का वाहन दुग्ध संकलन हेतु द्वितीय पक्ष की अनुमति से चलाना होगा, अन्यथा क्षमता अनुसार परिवहन देयक का न्यूनतम दर से भुगतान किया जावेगा, साथ ही यदि किसी दिन प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध संकलन हेतु वाहन नहीं भेजा जाता है, एवं द्वितीय पक्ष को व्यवस्था कर वाहन भेजना पड़ता है इससे खट्टा/फटा दूध एवं दर अंतर की जो भी हानि होगी, वह भी प्रथम पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि में से काटी जा सकेगी।
07. संकलन वाहन में परिवहन के समय केन/डिब्बे/बोतल/जार में पानी/तेल/डीजल इत्यादि खाली बर्तन एवं अन्य सामग्री नहीं रखी जावेगी, यदि पाई जाती है तो एक

दिवस के परिवहन देयक के बराबर राशि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी, साथ ही यदि इस कारण दूध खराब हुआ तो दूध की हानि राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि में से काटी जा सकेगी।

08. प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों (ऐसे कृत्या-कृत्य जिनके लिये स्वयं प्रथम पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार न हो, को छोड़कर) जो प्रथम पक्ष के काबू के बाहर हो, जैसे कारणों को छोड़कर वाहन के निश्चित समय पर नहीं आने की दशा में खराब होने वाले दूध की हानि को खट्टा होने पर 50% एवं फटा होने पर 70% मूल्य का देनदार प्रथम पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी अवधि के देयक से काट ली जावेगी।
09. क्रमांक 08 में उल्लेखित प्राकृतिक प्रकोप/प्रथम पक्ष के काबू के बाहर के मानवीय कृत्या-कृत्यों का पंचनामा बनाकर प्रथम पक्ष द्वारा उसी पाली के कार्यकाल में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके लिये दुग्ध संघ के अधिकृत प्रतिनिधि के सत्यापन होने पर कार्यालयीन कार्यवाही के उपरांत काटी गई राशि प्रथम पक्ष को वापिस की जा सकेगी।
10. एक्सीडेंट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है, तथा दूध की नुकसानी होती है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी एवं क्षति की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से वसूल की जा सकेगी।
11. वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः प्रथम पक्ष का रहेगा। यदि डीजल के अभाव में दुग्ध संकलन नहीं किया जाता है या वाहन देरी से भेजा जाता है, तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी। अनुबंधित वाहन में शासन के नियमों का पालन करते हुए ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जांच में डीजल के स्थान पर घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिये अन्य वाहन की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली प्रथम पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही की जा सकेगी।
12. प्रथम पक्ष अथवा उसके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने की दशा में दूध का जो भी परीक्षण परिणाम होगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।
13. संघ के कार्य से संघ/संस्था के कर्मचारी को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।

14. संघ से प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नहीं लाई जावेगी यदि ऐसा करते हुए किसी दिन पाया जाता है तो संघ जो दण्ड करेगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा। यह दण्ड अधिकतम उसी पाली के परिवहन देयक से अधिक नहीं होगा। यदि ऐसा दण्ड करने की एक बार से अधिक बार नौबत आई, तो संघ को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध को उक्त कारण से निरस्त कर वाहन संचालन बंद कर दें, तथा हानि की वसूली कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।
15. (अ) पशुआहार ले जाने पर दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा। समिति प्वाइन्ट पर उतारने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की रहेगी। टाटा 407 या छोटे वाहन में समितियों की मांग अनुरूप पशु आहार ले जाना आवश्यक होगा। घी 15 लीटर टीन/16 लीटर कार्टून का दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा, मिनरल-मिक्सचर 25 किलो पैकिंग एवं 50 किलो पैकिंग का दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान किया जावेगा।
- (ब) पशु आहार/घी/मिनरल-मिक्सचर के अलावा अन्य सामग्री जो परिवहन होगी, उसका कोई भाड़ा देय नहीं होगा, जिसमें मार्ग में नई खोली जाने वाली समितियों का सामान भी सम्मिलित होगा, साथ ही बंद समितियों का सामान वापस लाया जावेगा। उक्त सामान लाने एवं ले जाने में सावधानी रखी जावेगी। यदि असावधानी से कोई नुकसान होगा तो प्रथम पक्ष की जिम्मेदारी रहेगी, एवं हानि होने पर प्रथम पक्ष के देयक से काटी जा सकेगी।
- (स) संघ द्वारा समितियों को प्रदाय हेतु दिये गये पशु आहार से यदि संस्था पर पशु आहार कम उतारा जाता है तो संघ को अधिकार होगा कि कम उतारे गये पशु आहार की राशि एवं साथ ही रु. 100.00 प्रति बेग की दर से अर्थदण्ड वसूल कर ले।
- (द) पशु आहार वितरण के लिये दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर प्रथम पक्ष से प्रतिदिन प्रति बेग रु. 100.00 प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दण्ड वसूल किया जा सकेगा। इसके पश्चात् भी पशु आहार नहीं ले जाने पर संघ द्वारा अलग से वाहन द्वारा पहुंचाया जावेगा, जिसका वास्तविक परिवहन व्यय प्रथम पक्ष के देयक से काटा जावेगा।
16. (अ) संघ द्वारा निर्देशित रीति से प्रदत्त ट्रकशीट अनिवार्यतः भरवाने का कार्य प्रथम पक्ष द्वारा किया जावेगा। डिलेवरी चालान ट्रकशीट के साथ प्रस्तुत किया जावेगा, ऐसा न करने पर समितियों से प्राप्त शिकायतें प्रथम पक्ष को मान्य होगी तथा ऐसी हानि प्रथम पक्ष के देयक से वसूली योग्य होगी। मार्ग की उन समस्त समितियों पर जहां पर सीधे वाहन लगाया जाता है ऐसी समितियों की केन

संख्या एवं समय की जानकारी समिति कर्मचारियों से पूरी कराई जावेगी। समिति की खाली केन दूध से भरी केन चढ़ाते समय ही प्रदाय की जावेगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है एवं केन बीच में उतारता है तो इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का हागा। तथा दुरुपयोग पर आर्थिक दण्ड दिया जा सकेगा।

- (ब) प्रथम पक्ष द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे तथा उनके कृत्या-कृत्य के लिये द्वितीय पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। प्रथम पक्ष जो भी कर्मचारी वाहन संचालन हेतु रखेगा उनके संबंध में समस्त वैधानिक नियमों का पालन करने की जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी। इनके द्वारा लापरवाही/अनियमिता अथवा अभद्र व्यवहार करने की दशा में संघ के आदेशानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही करना होगा।
- (स) प्रथम पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ के संचालन मण्डल के सदस्य/संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो संघ को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड से दण्डित करे या प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें तथा आगामी 2 वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।
17. प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों का निरंतर उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुये वाहन बंद करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर लें। इसके अतिरिक्त यदि इस कारण द्वितीय पक्ष को कोई हानि होती है, तो वह भी प्रथम पक्ष के देयक से वसूल कर लें।
18. अनुबंध समाप्ति के पश्चात् राशि वापस प्राप्त करने के लिये समिति द्वारा प्रदत्त बकाया नहीं के प्रमाण पत्र, जो कि मार्ग पर्यवेक्षक से सत्यापित कर प्रस्तुत होंगे, द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि, ऐसे समस्त वसूली योग्य राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक तथा प्रतिभूति राशि से कटौती कर लें। यदि कटौती शेष रहता है, तो वसूली हेतु शासन के नियमानुसार राशि वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी एवं परिवहनकर्ता को काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा। काली सूचीबद्ध किये जाने में वाहन ठेकेदार सहित वाहन एवं वाहन परिचालन हेतु वाहन के संबंधित कर्मचारियों को भी कालीसूची किया जा सकेगा। यदि एक ही वाहन मालिक के दुग्ध संघ के अन्य दुग्ध संकलन मार्गों पर भी वाहन चल रहें है तो उन्हें भी काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा।
19. संघ द्वारा निर्देशित किये गये दुग्ध संकलन मार्गों को बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार संघ को रहेगा। यदि संभव हुआ तो संघ द्वारा मार्ग को अन्य मार्ग में परिवर्तन किया जाकर उस मार्ग की दुग्ध संस्था का परिवहन कार्य भी करवाया जा सकता है। इसी तरह जितनी भी दूरी घटे-बढ़े, उसे स्वीकृत दर से भाड़े का भुगतान किया जावेगा। साथ ही मार्ग की दुग्ध संस्थाओं को भी घटाया/बढ़ाया या परिवर्तित किया जा सकता

है एवं नवीन दुग्ध संस्थाओं के गठन पर उनको भी इसमें शामिल या अन्य मार्गों में शामिल किया जा सकेगा, जो कि वाहन ठेकेदार को मान्य होगा। यदि अनुबंध दुग्ध मार्ग पर संकलन अत्यधिक कम हो जाता है तो अल्पकालीन सूचना पर मार्ग का संकलन स्थगित किया जा सकता है। संकलन वृद्धि पर पुनः मार्ग को प्रारंभ किया जा सकेगा। जितने दिन संकलन स्थगित रखा जाता है, उतने दिनों का वाहन ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। साथ ही यदि अनुबंधित मार्ग पर संकलन कम हो जाता है तो संघ हित में मार्ग को शटल अथवा बन्द किया जाकर अन्य मार्ग से संबद्ध किया जा सकेगा। शटल मार्ग करने से दूरी कम होने पर भी अनुबंध दर से ही जितना वाहन चलेगा उतनी दूरी का भुगतान किया जावेगा।

20. अनुबंधित वाहनों पर पीछे हुड पर अनुबंध अवधि में बांस का टट्टर एवं उस पर त्रिपाल आवश्यक रूप से लगी होनी चाहिये अन्यथा वाहन निर्धारित समय या समय से पूर्व आने पर भी खट्टे/फटे दूध की हानि राशि प्रथम पक्ष के देयक से काटी जावेगी एवं आर्थिक दण्ड भी किया जावेगा तथा इससे होने वाली अन्य हानियों का कटौती भी प्रथम पक्ष के देयक किया जा सकेगा। अनुबंधित वाहन में पीछे की ओर बिजली का बल्ब चालू हालत में रहेगा, जिससे खाली केनो को गिनने में कोई दिक्कत न हो। इसी प्रकार संघ की सूचना पर दूध से भरे केनो पर पानी छिड़कने की व्यवस्था भी प्रथम पक्ष को करना होगी। ऐसा न करने पर जो हानि होगी, उसका दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
21. यदि चेकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करने पर पाया जाता है कि, वाहन कर्मचारी दूध में गड़बड़ी, हेराफेरी, केन से दूध निकालने, दूध का विक्रय करते हुए, वाहन से दूध से भरे हुए जार/बोतल या दूध पीते हुए पाये जाते हैं या किसी भी प्रकार की अनियमित्तयें करते पाये जाते हैं, मार्ग में पड़ने वाली सभी समितियों को ठेके की अवधि में यदि दूध में कमी आई है और इससे संस्थाओं को एवं संघ को हानि हुई है उसका देनदार प्रथम पक्ष रहेगा। यह राशि प्रथम पक्ष के देयक से वसूली योग्य रहेगी तथा प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार भी द्वितीय पक्ष को होगा तथा आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
22. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो उसका जवाबदार प्रथम पक्ष होगा तथा नुकसानी की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।
23. प्रथम पक्ष हड़ताल/कार्यबंदी नहीं करेगा एवं ना ही इसमें भाग लेगा यदि प्रथम पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि एवं द्वितीय पक्ष द्वारा जो भी दण्ड दिया जावेगा, उसके लिये प्रथम पक्ष जवाबदार रहेगा। साथ ही द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लें।
24. डेयरी परिधि के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाये जावेंगे, डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नहीं की जावेगी। डेयरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने, धोने जैसे

कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका प्रथम पक्ष देनदार रहेगा, साथ ही बिना अनुमति केनों को पानी भरने में प्रयोग नहीं किया जावेगा यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो संघ द्वारा जो दण्ड दिया जावेगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा। इसके अतिरिक्त डेयरी परिसर में अंदर आने के पश्चात् जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नहीं जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेंगे।

25. वाहन में सामान उतारने व समितियों पर दूध के केन चढ़ाने, उतारने, सामान की देख-रेख करने एवं केनों पर पानी छिड़कने आदि का कार्य भी प्रथम पक्ष के द्वारा करवाया जावेगा।
26. वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है, तो 24 घण्टों में पुनः प्रथम पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।
27. दुग्ध वाहन पर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऐसी सूचनाएं जिसमें **"दुग्ध विक्रय हेतु नहीं है"** एवं सुदाना, पशु आहार एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन लिखवाना होगा।
28. इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि संघ/समितियों की निकलेगी तो द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष की चल/अचल सम्पत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिये भी प्रथम पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।
29. परिस्थितिवश अथवा आवश्यकता होने पर द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।
30. प्रथम पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमति/कु.....संबंध.....
.....उम्रको पूर्ण होशोंहवास में नामांकित घोषित करता है। प्रथम पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमति/कु.....को संघ से व्यवहार करने का अधिकारी रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष देगा।
31. प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष के बीच मतभेद होने पर जो निर्णय संघ के अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।
32. संघ के कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में प्रथम पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति, पत्नि, पुत्री, सगे भाई बंधु नहीं है यह तथ्य प्रथम पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। अगर जांच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर लें।
33. प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के बनावाएँ जावेंगे। वह हर समय गाड़ी के साथ रहेंगे एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ के कार्यालय में देंगे। वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक ही रहेगा, कर्मचारी बदलने पर पुनः उनका परिचय पत्र एवं फोटो कार्यालय में देना होगा। वाहन चालक एवं सहायक का

नियुक्ति आदेश प्रथम पक्ष द्वारा जारी किया जावेगा एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ को भी पृष्ठांकित करेगा। परिवर्तन की स्थिति में दुग्ध संघ को तत्काल सूचित किया जाएगा।

34. प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध परिवहन के साथ दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ (घी, मीठा दूध, श्रीखण्ड, मट्ठा) आदि की भरी एवं खाली क्रेट भी लाई एवं ले जाई जावेगी। यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ विपणन की दरें भी अनुमोदित है तो किसी प्रकार का अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा। यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ दुग्ध विपणन की दरें अनुमोदित नहीं है और निर्धारित मार्ग के अलावा वाहन को विपणन हेतु भेजा जाता है, तो उसका अनुबंधित दरों से भाड़ा देय होगा। इस हेतु दुग्ध वितरण हेतु निर्धारित समय तक वाहन को रोका जा सकेगा।
- (अ) दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु दुग्ध संघ की अनुमोदित दर अनुसार परिवहन भुगतान किया जाएगा। इस हेतु प्रथम पक्ष को क्रेट का पूर्ण हिसाब रखना होगा एवं खाली क्रेट संघ में प्रतिदिन जमा करानी होगी।
- (ब) दूध वितरक से प्राप्त मांग एवं रसीदें डेयरी में प्रतिदिन जमा कराना होगी।
- (स) दिये गये दूध एवं दूध पदार्थों की पावती संघ में लाकर देनी होगी।
- (द) समय पर दूध एवं दूध पदार्थ नहीं पहुंचाने की स्थिति में संपूर्ण दूध एवं दूध पदार्थ का मूल्य वाहन ठेकेदार के देयक से वसूली की कार्यवाही की जावेगी।
35. स्थानीय, मध्यप्रदेश शासन, भारत शासन द्वारा जो भी कर लागू किये जावेंगे, वह प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काट लिये जावेंगे एवं उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा किया जावेगा एवं उसका प्रमाण पत्र द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को दिया जावेगा। आयकर विभाग का स्थाई लेखा संख्या नम्बर प्रथम पक्ष देगा।
36. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेन्स प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।
37. प्रथम पक्ष का जिस दुग्ध संकलन मार्ग का ठेका होता है यदि मार्ग खराब हो तो उन संस्थाओं का दुग्ध संकलन लाने हेतु स्वयं प्रथम पक्ष को व्यवस्था करना होगी, जिसका संपूर्ण दायित्व प्रथम पक्ष का होगा, इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा, यदि ऐसी व्यवस्था करने में प्रथम पक्ष असफल होता है, तो द्वितीय पक्ष द्वारा व्यवस्था की जावेगी वह प्रथम पक्ष को मान्य रहेगी तथा उतनी राशि प्रथम पक्ष के देयक से काटकर संबंधित को भुगतान करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को रहेगा। मार्ग खराब होते हुए भी वैकल्पिक व्यवस्था न करते हुए अपने वाहन का उपयोग प्रथम पक्ष करता है तथा इस कारण यदि संघ/समितियों को हानि होती है, तो उस हानि का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा एवं ऐसी हानि प्रथम पक्ष के देयक से काटने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

38. दूसरी मंजिल में केन लाने हेतु पटियों का पार्टीशन करना होगा। किसी भी स्थिति में केनों के ऊपर केन रखने की अनुमति नहीं दी जावेगी। पार्टीशन व्यवस्था प्रथम पक्ष को स्वयं करना होगी।
39. वाहन में दुग्ध से भरे केनों की क्षमता निम्नानुसार होगी:—
- | | |
|--|---------|
| जीप/टेम्पो/या समान क्षमता का वाहन | 25 केन |
| पिकअप या समान क्षमता का वाहन | 40 केन |
| मेटाडोर/ट्रेक्टर या समान क्षमता का वाहन | 55 केन |
| टाटा 407 या समान क्षमता का वाहन | 75 केन |
| टाटा 608/आयशर/डी.सी.एम./माजदा/आलवीन या समान क्षमता का वाहन | 120 केन |
- अनुबंधित वाहन में उक्त उपरोक्त क्षमता से अधिक केन आने पर प्रति पाली रुपये 5.00 प्रति केन का अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।
40. परिवहन देयकों के भुगतान हेतु प्रत्येक माह दिनांक 1 से दिनांक 15 तक देयक प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक 18 तक संघ/संयंत्र में देना होंगे, जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 10 तक किया जावेगा, उसी प्रकार प्रत्येक माह की दिनांक 16 से दिनांक 30/31 तक का देयक आगामी माह की दिनांक 3 तक संघ/संयंत्र में प्रस्तुत करना होंगे जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 25 तक किया जावेगा।
41. संघ द्वारा दुग्ध समितियों हेतु प्रति पाली दी जाने वाली वेट स्लिप एवं एडवाईज पहुंचाने एवं उसकी प्राप्ति लाकर संघ कार्यालय में समय पर पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रति पाली प्रति संस्था के हिसाब से रुपये 5.00 एवं दण्ड स्वरूप प्रथम पक्ष के देयक से कटौती की जावेगी।
42. यदि किसी दुग्ध संकलन मार्ग की किसी भी एक या अनेक समितियों में निरंतर दूध या फ़ैट की शिकायत संघ कार्यालय, को प्राप्त होती है, तो संघ के अधिकारी/पर्यवेक्षक 3 पाली तक उक्त मार्ग के दुग्ध वाहन के साथ जावेंगे, अधिकारी/पर्यवेक्षक दूध वाहन के साथ संलग्न करने पर उन दिनों में यदि किसी भी समिति में कोई कमी न आती है, तो यह मानकर कि दुग्ध या फ़ैट में कमी वाहन स्तर पर ही हो रही है, समितियों को होने वाले नुकसान की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि से काटी जावेगी।
43. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परंतु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यों में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। प्रथम पक्ष द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध पत्र को निरस्त कर सकेंगे व अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी।

44. संघ द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार ही प्रथम पक्ष को दुग्ध परिवहन कार्य करना होगा। यदि दुग्ध परिवहन वाहन निर्धारित समय पर दुग्ध परिवहन पाईन्ट पर नहीं पहुंचता है तो ऐसी दशा में समिति कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात् एक घण्टे तक परिवहन पाईन्ट पर उपस्थित रहेगा। इस अवधि में भी वाहन दुग्ध परिवहन नहीं करता है तो उस दूध के खट्टे/फटे से हुई हानि की राशि एवं उस दूध को डेयरी डाक/शीत केन्द्र तक पहुंचाने में समिति द्वारा किये गये व्यय की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।
45. स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है, तो ही अनुबंधित दर में कमी/वृद्धि की जावेगी दर में कमी/वृद्धि की गणना निम्नानुसार की जावेगी -

क्रमांक	वाहन का प्रकार	औसत प्रति लीटर
1	टेम्पो	30 कि.मी.
2	मेटाडोर/जीप/जुगाड़	15 कि.मी.
3	टाटा एसीई/मिनिडोर/वेन	22 कि.मी.
4	पीकम/समकक्ष	12 कि.मी.
5	टाटा 407 एवं समान क्षमता का वाहन	10 कि.मी.
6	टाटा 608, 609, 709 आयशर, माजदा	08 कि.मी.
7	ट्रेक्टर	07 कि.मी.
8	टाटा 807/मिनी ट्रक	06 कि.मी.

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदनुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्ट्स, ऑईल तथा टायर ट्रिबूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंध दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

46. अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व प्रथम पक्ष का स्वयं का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौती का लेखा-जोखा प्रथम पक्ष स्वयं को ही रखना होगा।
47. विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाया जाने पर अनुबंधित दर में 20% का कटौती किया जावेगा किंतु वाहन ठेकेदार को मार्ग पर

संकलित पूरा दूध लाना होगा। यह अनुमति वर्ष में 2-3 बार ही दी जा सकेगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि तीन दिवस से अधिक नहीं होगी। यदि इस अवधि में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंधित क्षमता का वाहन नहीं लगाया जाता है तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

48. संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर (बी.एम.सी.) स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा।
49. डेयरी संयंत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा। यदि प्रथम पक्ष द्वारा मना किया जाता है तो अन्य वाहन व्यवस्था करने पर अंतर की राशि प्रथम पक्ष से वसूल की जा सकेगी।
50. संघ के द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध संकलन मार्ग निश्चित किया गया है, उसी पर वाहन खाली/भरी चलावें, यदि सत्यापन के समय पाया गया कि, वाहन निर्धारित मार्ग से नहीं चलाया जा रहा है तो न्यूनतम एक पाली के परिवहन का आर्थिक दण्ड किया जावेगा, साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका संपूर्ण अनुबंध अवधि का कटौती किया जावेगा।
51. प्रथम पक्ष द्वारा वाहन लगाने के एक सप्ताह के अंदर स्थाई लेखा संख्या (पेन नंबर) स्व सत्यापित की छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी। तत्पश्चात ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्यवाही द्वितीय पक्ष द्वारा की जावेगी।
52. प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध अवधि में यदि अपना वाहन आगे नहीं चलाना चाहता है तो उसके लिये वह अन्य ठेकेदार को उसी दर में समान क्षमता एवं मॉडल के वाहन को चलाने के लिये तैयार कर अनुबंध करावेगा इस हेतु हस्तांतरण शुल्क राशि रुपये 5,000.00 संघ में जमा किया जावेगा। प्रथम चार माह में अनुबंध हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जावेगी।
53. प्रथम पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित हो कि अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो।
54. विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र जबलपुर रहेगा।
55. प्रथम पक्षकार को सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास 10 से अधिक कमर्शियल व्हीकल नहीं है, यदि ऐसा होता है तो प्रथम पक्षकार उसकी जानकारी अलग से देगा एवं ऐसी स्थिति में परिवहन देयक से टीडीएस कटौती की जा सकेगी।

मैं/श्री.....प्रथम पक्षकार ने उक्त अनुबंध शर्तों का अवलोकन भली भांति एवं होशोहवास में कर लिया है तथा मुझे निविदा/अनुबंध की समस्त शर्तें मान्य हैं। निम्न साक्षियों के समक्ष द्वितीय पक्ष से अनुबंध करता हूँ।

साक्षी:

प्रथम पक्षकार

1. हस्ताक्षर
नाम.....
पिता का नाम.....
पता.....
.....
दूरभाष क्र.
मोबाईल क्र.
ई-मेल.....

1. हस्ताक्षर
नाम.....
पिता/पति का नाम
पता
.....
दूरभाष क्र.
मोबाईल क्र.
ई-मेल.....

2. हस्ताक्षर
नाम
पिता का नाम
पता
.....
दूरभाष क्र.
मोबाईल क्र.
ई-मेल.....

हस्ताक्षर द्वितीय
पक्षकार
(सील सहित)

.....
.....
.....

-----***-----

निविदा प्रस्तुत करने हेतु आवेदन प्रपत्र

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
जबलपुर (म0प्र0)

आवेदक अपना पासपोर्ट
साईज का फोटो
चिपकारं ।

विषय— दुग्ध संकलन परिवहन हेतु निविदा ।

महोदय,

विषयान्तर्गत आपके कार्यालय द्वारा दैनिक भास्कर समाचार पत्र के दिनांक के संस्करण में प्रकाशित की गई दुग्ध परिवहन निविदा सूचना के संदर्भ में क्रय किये गये निविदा प्रपत्र के साथ प्राप्त अनुबंध की समस्त शर्त एवं अन्य जानकारी मैंने अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ली है। तदनुसार डेयरी संयंत्र/शीतकेन्द्र से संचालित दुग्ध संकलन मार्ग (नाम) क्रमांक के लिये मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही निविदा सम्बन्धी जानकारी निम्नानुसार है :-

(1) निविदाकार का विवरण:-

निविदाकार का नाम—

• पिता/पति का नाम—

• पत्र व्यवहार का पता—

• स्थाई पता—

• दूरभाष क्रमांक—

• स्थाई लेखा संख्या (पेन नं.)—

(2) वाहन का विवरण:-

• वाहन का प्रकार—

• माडल वर्ष—

• वाहन का पंजीयन क्रमांक—

• वाहन का भार क्षमता मी.टन—

(3) जमा की गई अमानत (ई.एम.डी.) राशि रुपये 5,000/- का विवरण:- रसीद/डी.डी.

क्रमांक दिनांक बैंक का नाम

(4) निविदा दर रुपये प्रति कि.मी./प्रति ट्रीप (अंको में)

(अक्षरों में)

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सत्य व सही है। यदि दी गई जानकारी किसी भी समय त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो इसके लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी एवं इस संबंध में जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

दिनांक

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

नाम—

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
जबलपुर (म0प्र0)

द्वारा— प्रभारी (क्षेत्र संचालन)/ प्रबंधक (क्षेत्र संचालन)

विषय— दुग्ध संघ में अनुबंधित वाहन की प्रतिभूति राशि एवं सुरक्षा राशि से अमानत राशि समायोजित कर दुग्ध संकलन परिवहन निविदा अवधि (01.11.2019 से 31.10.2020) के लिये स्वीकृति एवं प्रमाण-पत्र देने बाबत।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरा वाहन क्रमांक दुग्ध संकलन मार्ग क्रमांक नाम जिला में वर्ष में दुग्ध संकलन परिवहन के लिये अनुबंधित है तथा दुग्ध संघ में कार्यरत है। मेरे द्वारा वर्ष में दुग्ध संघ में अमानत राशि रूपये मनी रसीद क्रमांक दिनांक द्वारा जमा की गई है। वर्ष की अनुबंध अवधि में मेरे परिवहन देयकों से सुरक्षा राशि रूपये काटी गई है। उक्त दुग्ध संघ में जमा दोनों राशियों से वर्ष की दुग्ध संकलन परिवहन निविदा की अमानत राशि रूपये पाँच हजार मात्र मेरी जमा राशि से कटौती करके इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की कृपा करें, ताकि निविदा वर्ष के लिये निविदा फार्म के साथ प्रमाण पत्र संलग्न करके निविदा प्रस्तुत कर सकूँ।

आवेदक

सत्यापन पर्यवेक्षक/प्रभारी (क्षे0सं0)/प्रबन्धक (क्षे0सं0)

श्री दुग्ध संकलन परिवहन वाहन ठेकेदार द्वारा वर्ष के दर्शित विवरण अनुसार अमानत राशि एवं सुरक्षा राशि दुग्ध संघ में जमा हुई है जो कि लेखों में दर्शित है।

प्रबंधक (वित्त)
जबलपुर दुग्ध संघ

सत्यापनकर्ता नाम/हस्ताक्षर
प्रभारी (क्षे0सं0)/प्रबंधक (क्षे0सं0)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दुग्ध संकलन परिवहन वाहन ठेकेदार द्वारा वर्ष में मार्ग क्रमांक/मार्ग का नाम के लिये अमानत राशि रूपये पाँच हजार दिनांक को दुग्ध संघ कार्यालय में जमा की गई है तथा उन्हें एम0आर0 जारी की गई है। वर्ष में इनके अनुबंधित अवधि के परिवहन देयकों से सुरक्षा राशि दिनांक की स्थिति में दुग्ध संघ कार्यालय में जमा है परिवहन ठेकेदार के आवेदन अनुसार जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा राशि से वर्ष के लिये इनकी देय राशि से रूपये पाँच हजार अमानत राशि के रूप में संघ कार्यालय में इनकी देयकों में से कम करते हुए सुरक्षित जमा की गई है। प्रमाण पत्र की मूल प्रति निविदा के साथ संलग्न करने हेतु प्रदान की जाती है।

प्रबंधक (वित्त)
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ
मर्यादित, जबलपुर